न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 — 16 / 2023

अनवान : —

1. दलीपसिंह पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील त0 भादरा। वादी

बनाम

1. प्रताप पुत्र उदगी उर्फ उदमीराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
3. शारदा पुत्री प्रताप पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलखेड़ा हाल निवासी डोभी त0 भादरा।
4. सरोज पुत्री प्रताप पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा हाल निवासी डोभी त0 भादरा।
5. शकुन्तला पुत्री प्रताप पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा हाल निवासी डोभी त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। — **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री संदीप गोदारा **वादी**
श्री प्रभूराम गोदारा प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 28/03/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं0 86/86 के मु0न0 36 के किला न0 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2 11 ता 13, 18 ता 24 मु0न0 37 के किला न0 16, 25 मु0न0 43 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 5.060है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा व चक 13 एएमएस के खाता सं0 120/112 के मु0न0 53 के किला न0 17 ता 25 मु0न0 54 के किला न0 6 ता 9, 11 ता 25 मु0न0 55 के किला न0 1 ता 15, 17 ता 20 मु0न0 56 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2 की कुल 15.686है0 जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं0 86/189 के मु0न0 15 के किला न0 10/1, ... मु0न0 16 के किला न0 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/... 17 ... 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25 मु0न0 17 के किला न0 3/1, 3/2, ... 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 3.542है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 ता 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं0 86/86 के मु0न0 36 के किला न0 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2 11 ता 13, 18 ता 24 मु0न0 37 के किला न0 16, 25 मु0न0 43 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 5.060है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा व चक 13 एएमएस के खाता सं0 120/112 के मु0न0 53 के किला न0 17 ता 25 मु0न0 54 के किला न0 6 ता 9, 11 ता 25 मु0न0 55 के किला न0 1 ता 15, 17 ता 20 मु0न0 56 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2 की कुल 15.686है0 जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं0 86/189 के मु0न0 15 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20 मु0न0 16 के किला न0 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25 मु0न0 17 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 3.542है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं0 86/86 के मु0न0 36 के किला न0 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2 11 ता 13, 18 ता 24 मु0न0 37 के किला न0 16, 25 मु0न0 43 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 5.060है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा व चक 13 एएमएस के खाता सं0 120/112 के मु0न0 53 के किला न0 17 ता 25 मु0न0 54 के किला न0 6 ता 9, 11 ता 25 मु0न0 55 के किला न0 1 ता 15, 17 ता 20 मु0न0 56 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2 की कुल 15.686है0 जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं0 86/189 के मु0न0 15 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20 मु0न0 16 के किला न0 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25 मु0न0 17 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 3.542है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 प्रताप की बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/03/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested